न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्री मनाराम पुत्र कानारामजी माली, जाति- माली, निवासी- कैलाशनगर, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. ग्राम पंचायत, कैलाशनगर जरिये सरपंच, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही
2. श्री सोमाराम मेघवाल पुत्र सदाजी मेघवाल, जाति- मेघवाल, निवासी- कैलाशनगर, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 91/2017

''निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994''

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से
2. अधिवक्ता श्री भैरुपाल सिंह बालावत, अप्रार्थी संख्या- 2 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 04 दिसम्बर, 2020**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा अप्रार्थी सोमाराम मेघवाल पुत्र सदाजी मेघवाल, निवासी- कैलाशनगर के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 10.12.2009 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, कैलाशनगर से संबंधित रेकर्ड तलब किया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से अधिवक्ता श्री नारायण सिंह देवडा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से अधिवक्ता श्री भैरुपाल सिंह बालावत उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से लिखित जवाब भी प्रस्तुत हुआ, लेकिन अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत नही हुआ है एवं न ही बहस हेतु नियत तिथि पर अप्रार्थी संख्या-1 के अधिवक्ता उपस्थित हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि ग्राम कैलाशनगर में प्रार्थी के खातेदारी तथा कब्जा काश्त की कृषि आराजी आई हुई है जिसके लगती ग्राम पंचायत की आबादी भूमि स्थित है। मौके पर समस्त रहवासी मकान बने हुए है। मौके पर ग्राम पंचायत का कोई खाली भूखण्ड नही है, फिर भी ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या-2 के हक में नियम 157(1) राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत पट्टा संख्या 14 दिनांक 10.12.2009 को जारी किया गया है। यह कि मौके पर ग्राम पंचायत के स्वामित्व का कोई भूखण्ड पट्टा में दर्शित नाप व चतुर्दशी का नही है तथा ना ही पट्टा में वर्णित अडोस-पडोस का कोई भूखण्ड ....पेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:47:10 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

मौके पर उपलब्ध है। प्रश्नगत पट्टे की आड में अप्रार्थी संख्या-2 ने प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर कब्जा किया है। अप्रार्थी संख्या-2 को नियम 157(1) राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत पट्टा जारी किया गया है, जो सर्वथा गलत है क्योंकि विवादित पट्टा की भूमि पर कोई आवास निर्मित नही था। अप्रार्थी संख्या-2 ने पट्टा जारी होने के बाद नया निर्माण किया है एवं मौके पर पट्टे से ज्यादा भूमि पर निर्माण किया है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार, शिवगंज से मौके व रेकर्ड की रिपोर्ट तलब किये जाने पर मौका निरीक्षण के दौरान प्रार्थी को मौके पर नही बुलाया एवं नक्शे के विपरित रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा रिपोर्ट में आंशिक भाग रास्ता होना बताया है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत की मिसल की आदेशिकाओं में सरपंच के हस्ताक्षर नही है व न ही तारीख अंकित है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी आपत्ति नोटिस पर भी क्रमांक अंकित नही है। ग्राम पंचायत, कैलाशनगर ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों का पालन किये बिना ही पट्टा जारी किया है, इसलिये प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार कर अप्रार्थी सोमाराम के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि से लगती हुई ग्राम पंचायत, कैलाशनगर की आबादी भूमि आई हुई है। उक्त आबादी भूमि में अप्रार्थी के बाप दादाओं के समय से निवास करता आ रहा है एवं उक्त पुश्तैनी आवास के आधार पर अप्रार्थी सोमाराम को ग्राम पंचायत ने नियमानुसार पट्टा संख्या 14 दिनांक 10.12.2009 को जारी किया है। अप्रार्थी सोमाराम के नाम से जारी पट्टे की चतुर्दशी एवं मौके की स्थिति में कोई भिन्नता नही है। उक्त आबादी भूमि पर अप्रार्थी का पुश्तैनी कब्जा एवं मकान बना हुआ था जिसको अप्रार्थी संख्या-2 ने अपनी आजीविका से आज से लगभग 9-10 वर्ष पूर्व पक्का निर्माण करवाया है। उक्त भूखण्ड के चारों ओर अप्रार्थी संख्या-2 ने दिवार का निर्माण करवाया है। मौके पर अप्रार्थी सोमाराम का मकान बिल्डिंग लाईन के अन्दर है, मौके पर किसी प्रकार से रास्ता भूमि अतिक्रमण नही किया है। यदि उक्त पट्टा गलत होता तो मौके निर्माण कार्य के समय उजरदारी करता, लेकिन प्रार्थी ने कभी उजरदारी नही की एवं मौके पर पक्का निर्माण होने के बाद झूठे तथ्यों के आधार पर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने मौके पर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि पर अतिचार नही किया है जिसकी पुष्टि तहसीलदार, शिवगंज द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से होती है। तहसीलदार, शिवगंज की मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है कि अप्रार्थी संख्या-2 का मकान ग्राम पंचायत, कैलाशनगर की आबादी भूमि खसरा संख्या 1517 रकबा 2.11 बीघा किस्म आबादी एवं मकान का आंशिक भाग श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र विजय सिंह की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1515 रकबा 0.16 बीघा किस्म रास्ता में है। अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज की जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा संबंधित रेकर्ड का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन [illegible] यह पाया कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा अप्रार्थी सोमाराम [illegible] कैलाशनगर के

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:47:10 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 1590 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 14 दिनांक 10.12.2009 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23-क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा :-

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल-

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 100/- रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षो के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 200/- रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 के द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप नियम (1) के खण्ड (i) के उपखण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति "इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षो के दौरान" के स्थान पर अभिव्यक्ति "31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान" प्रतिस्थापित की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत दिनांक 31 दिसम्बर 2016 के पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों का विनियमितिकरण किया जा सकता है।

पत्रावली पर उपलब्ध फोटोग्राफस के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मौके पर अप्रार्थी सोमाराम का आवासीय मकान बना हुआ है, जो अडौस-पडौस में स्थित मकानों के बिल्डिंग लाईन में बना हुआ प्रतीत होता है। प्रकरण में प्रार्थी ने ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि मौके पर अप्रार्थी सोमाराम का पुराना आवास बना हुआ नही था। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार, शिवगंज से मौके एवं रेकर्ड अनुसार रिपोर्ट तलब किये जाने पर तहसीलदार, शिवगंज के पत्र क्रमांक/रीडर/2019/2990 दिनांक 10.12.2019 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि ग्राम कैलाशनगर के खसरा संख्या 1516/3448 रकबा 1.07 बीघा व खसरा संख्या 1516 रकबा 13.03 बीघा भूमि प्रार्थी व अन्य की खातेदारी है, इस भूमि में ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सोमाराम पुत्र सदाजी मेघवाल, निवासी- कैलाशनगर के नाम कोई पट्टा जारी किया हुआ नही है। अप्रार्थी का मकान ग्राम पंचायत, कैलाशनगर के खसरा संख्या 1517 रकबा 2-11 बीघा किस्म आबादी एवं मकान का आंशिक भाग खसरा संख्या 1515 रकबा [illegible] रेकर्ड अनुसार जितेन्द्र

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:47:10 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सिंह पुत्र विजय सिंह राजपूत वगैरह की खातेदारी भूमि है। इस प्रकार, तहसीलदार, शिवगंज की उक्त रिपोर्ट से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा अप्रार्थी सोमाराम को प्रार्थी की खातेदारी भूमि में कोई पट्टा जारी नही किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का यह निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

अत: प्रार्थी का यह निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

4/12/2020

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:47:10 IST
Reason: SelfAttested